

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232480
SG-DL-E-06012022-232480

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 364
No. 15] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943 [N. C. T. D. No. 364

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

एफ.77/सीएफडी/भूमि/जीएम उस्मान पुर/0.124 हेक्टेयर/एफसीए भूमि/अधिसूचना/21-22/9231.38.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना संख्या 104—जे और 146—जे दिनांक 24.08.1950 और 06.12.1950 के साथ पठित, दिल्ली के उपराज्यपाल, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख और अध्याय— IV और धारा 68 के प्रावधानों के प्रभाव से नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को 'संरक्षित वन' घोषित करते हुए प्रसन्न हैं। उक्त अधिनियम उस पर लागू होगा।

अनुसूची

	जिला	तहसील	गांव	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में.)	भू-निर्देशांक
1.	नार्थ-इस्ट	सिविल लाइन	चिराग उत्तर, उस्मानपुरी	16	0.124	A- 77°15.017'E, 28°40.949'N B- 77°15.045'E,

